रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक / /एस.सी / एस.टी. सेल 2017 / 795 जबलपुर दिनांक 22/12/17

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।

विषय– अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति फार्म स्वीकृत कर वितरण के लिए समय–सीमा में संबधित जिले के कलेक्टर के यहां प्रेषित किए जाने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ (1)कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन भोपाल क्रमांक 2002 / 893 / अमुस / टीएल–81 / आउशि / छा / 2017 भोपाल दिनांक 12 / 12 / 17

(2) प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से प्राप्त D.O.NO.476/PS/SC/17, Dated 05/12/17

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसमें आपके विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के पोष्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति फार्म स्वीकृत करने के लिए समय–सीमा का निर्धारण किया गया है तथा अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के माध्यम सें छात्रवृत्ति वितरण के प्रकरण सहायक आयुक्त कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास को 15 दिसम्बर 2017 तक पहुचने के निर्देश दिये गये थे।

कृपया माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार समय–सीमा का ध्यान रखा जावे अतः 7 दिवस के अन्दर आपके विभाग में अध्यनरत् अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति फार्म स्वीकृत कर भेजने का कष्ट करे जिससे की आगामी कार्यवाही हेतु कार्यालय कलेक्टर को भेजा जा सके ।

संलग्न–2

(डॉ0 बी0 भारती)
कुलसचिव
जबलपुर दिनांक 22/12/17

पृष्ठ कमांक / एस.सी / एस.टी सेल / 2017 / 795 'अ'

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–
(1) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कलेक्टर जबलपुर।

(डॉ0 बी0 भारती)
कुलसचिव

Scanned by CamScanner

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल.

वेबसाईट

2002

क्रमांक /893/अमुस/टी.एल–61/आउशि/छा./2017, भोपाल, दिनांक 12/12/17

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
2. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश,
3. प्राचार्य, समस्त गैर अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
4. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश

विषय–अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति फार्म स्वीकृत कर वितरण के लिए समय–सीमा में संबंधित जिले के कलेक्टर के यहां प्रेषित किए जाने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ–प्रमुख सचिव,अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से प्राप्त D. O.No. 476 / PS/SC/17,Dated 05/12/2017 .

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख सचिव,अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से प्राप्त D. O. No. 476 / PS/SC/17,Dated 05/12/2017 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। निर्देशानुसार अधिकांश संस्थाओं के प्राचार्यों ने अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति फार्म स्वीकृत कर वितरण के लिए संबंधित कलेक्टर के यहां प्रेषित नहीं किए है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के स्वीकृत फार्म इस माह की 15 तारीख तक अनिवार्यतः संबंधित जिले के कलेक्टर को वितरण हेतु पहुंचाना सुनिश्चित करे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार,

(वि.क.अ.सह. आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ0 पूर्णिमा लोधवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

2003

क्रमांक /893/अमुस/टी.एल–61/आउशि/छा./2017, भोपाल, दिनांक 12/12/17

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव,अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल की ओर D. O. No. 476 / PS/SC/17,Dated 05/12/2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सहायक,अपर प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर आवक क्रमांक 5345 /अ.प्र.स./उच्च शिक्षा,,दिनांक 05.12.17 (टी.एल.नं. 61,दिनांक 08.12.17) के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रभारी अधिकारी,आई.टी.सेल,उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन,भोपाल। कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

(डॉ0 पूर्णिमा लोधवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

Ashish Upadhyaya
I.A.S.
Principal Secretary

Government of Madhya Pradesh
Scheduled Caste Welfare Department

Phone Offi : 0755-2767442
Resi : 0755-2430001
Fax : 0755-2575421
E-mail : psscwbho@mp.gov.in

D.O. No. 476/PS/SC/17

Bhopal, Dated 05/12/2017

Respected Sir,

प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों में भोजन व्यवस्था भी शिष्यवृत्ति की राशि से की जाती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर हो तथा विद्यार्थियों को अध्ययन करने में कोई वित्तीय परेशानी न हो।

किन्तु छात्रवृत्ति के वितरण की समीक्षा में यह देखा गया कि नवम्बर माह के अंत तक आपके विभाग के अधीनस्थ संचालित अधिकांश संस्थाओं के प्राचार्यों ने अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति फार्म स्वीकृत कर वितरण के लिए कलेक्टर के यहां प्रेषित नहीं किए हैं। यह उल्लेखनीय है कि विभाग के अंतर्गत संचालित निजी संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के आवेदनों को भी परीक्षण कर समय पर स्वीकृत कर वितरण हेतु कलेक्टर के यहां पहुंचाने का दायित्व विभाग के द्वारा चिन्हित महाविद्यालय के प्राचार्य का ही होता है।

छात्रवृत्ति स्वीकृत न होने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतः अनुरोध है कि आपके विभाग के अंतर्गत संचालित सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के स्वीकृत फार्म इस माह की 15 तारीख तक अनिवार्यतः संबंधित जिले के कलेक्टर को वितरण हेतु पहुंचाना सुनिश्चित करें।

शीघ्र ही इस योजना की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किए जाने की संभावना है अतः कृपया समस्त प्राचार्यों को समय-सीमा में कार्यवाही के निर्देश अविलंब प्रसारित करने का कष्ट करें।

With regards

भवदीय,

Ashish
5-12-2017
(आशीष उपाध्याय)

श्री बी.आर. नायडू,
अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग

893/TL/12
12/12
2706
Pl. Send a suitable reply after taking necessary action
5 DEC 2017
CHE
15.12.17
कार्यालय
आयुक्त, उच्च शिक्षा
8 DEC 2017
OSD (PL)
5345
5/12/17
61/TL/17
8/12/17